भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1700

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी में समावेशिता, निगरानी और परिणाम

1700. **श्रीमती संगीता यादवः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करने में महिला आवेदकों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) उक्त कठिनाइयों के निराकरण के लिए क्या-क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या योजना के अंतर्गत विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इनके प्रदर्शन की निगरानी किस प्रकार की जाती है;

(घ) मंत्रालय, केवीआईसी, राज्यों और बैंकों के बीच समन्वय को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा रहा है; और

(ङ) उक्त सुधारात्मक उपायों का ऋण स्वीकृति तथा रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): सरकार महिलाओं सहित स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले संभावनाशील उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की बारीकी से निगरानी करती है। तदनुसार, पीएमईजीपी के अंतर्गत महिलाओं सहित संभावनाशील उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. महिला उद्यमियों की अधिकाधिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए उन्हें लाभार्थियों की विशेष श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो उच्च मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी दरों तथा परियोजना लागत में स्वयं के कम अंशदान की पात्र हैं।
ii. संभावनाशील उद्यमियों को तत्क्षण सहायता और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना की गई।
iii. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
iv. संभावनाशील लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन।
v. पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में संभावनाशील उद्यमियों को शिक्षित करने हेतु बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर एवं ग्राहक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

(ग) और (घ): पीएमईजीपी मांग-आधारित स्कीम है और संबंधित वित्तीय बैंकों द्वारा ऋण की निर्णायक संस्वीकृति परियोजनाओं की तकनीकी तथा आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात प्रदान की जाती है। इसलिए विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

मंत्रालय पीएमईजीपी के प्रभावी कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करता है और विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य और जोनल स्तर, राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) के स्तर पर बैंकर्स की तिमाही समीक्षा और निगरानी बैठकों के नियमित आयोजन के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य सरकारों, जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों तथा वित्तपोषण बैंकों के साथ समन्वय बनाए रखता है। स्कीम के कार्य-निष्पादन की पीएमईजीपी पोर्टल के माध्यम से भी निगरानी की जाती है जो आवेदनों के समग्र प्रसंस्करण, तत्क्षण निगरानी और हितधारकों को पारदर्शी ट्रैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

(ङ): पीएमईजीपी के अंतर्गत की गई पहलों से वित्तपोषण बैंकों के साथ समन्वय काफी सुदृढ़ हुआ है, जिससे स्कीम की निगरानी व्यवस्था में सुधार हुआ है तथा स्कीम का जमीनी-स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इन पहलों के माध्यम से उक्त अवधि के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत लगभग 36.33 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के टिकाऊ अवसर सृजित करने में मदद मिली है।
